परिपत्र–9

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/8007/22/वि–10/ग्रायांसे/स.प्र.147/2012, भोपाल, दिनांक : 5/10/2012

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–समस्त
3. अधीक्षण यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   मण्डल–समस्त
4. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
   संभाग–समस्त

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्र पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं बेकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के अभिसरण से पूर्ण होने वाली बारहमासी ग्रामीण सड़कों के **"रखरखाव"** के संबंध में दिशा निर्देश।

---00---

योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य क्षेत्र में 500 एवं आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले समस्त ग्रामों को वर्ष 2013 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ने का कार्य मनरेगा, बीआरजीएफ एवं राज्य मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये विभाग के **परिपत्र–2 दिनांक 27.03.2010** द्वारा योजनान्तर्गत ग्रेवल रोड का निर्माण IRC:SP:77-2008 (Manual for design construction and maintenance of Gravel Road) एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (MORD) द्वारा जारी Specifications for Rural Roads के आधार पर कार्य कराए जाने के निर्देश दिये गये थे।

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में ग्रेवल एवं पुल–पुलियों का कार्य निविदा पद्धति से एवं मिट्टी कार्य तथा शोल्डर कार्य मनरेगा मद से विभागीय रूप से जॉबकार्ड धारी श्रमिकों के माध्यम से कराया जा रहा है। द्वितीय एवं तृतीय चरण के 18 जिलों में सम्पूर्ण कार्य निविदा पद्धति से एवं 19 जिलों में मनरेगा के अभिसरण से कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत सड़कों के कार्य पूर्ण होने प्रारंभ हो गये हैं। विभिन्न जिलों में कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनके रखरखाव का कार्य आवश्यक होगा। सड़कों के रखरखाव हेतु IRC द्वारा जारी **मेनुअल फार मेन्टेनेन्स ऑफ रोड–1989,** IRC:SP:77-2008, IRC:SP:20-2002 **एवं** MORD (Specifications for Rural Roads) में दी गई गाईड लाईन अनुसार कार्यवाही की जाए। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

1. **रूटिन मेन्टेनेन्सः–**

1.1 **मनरेगा, बीआरजीएफ एवं राज्य आयोजना मद के अभिसरण से संपादित सड़कों का संधारणः–** अभिसरण की स्थिति में मनरेगा मद का कार्य विभाग द्वारा मस्टर रोल संधारित कर तथा ग्रेवल, रोड फर्नीचर एवं पुल–पुलियों का कार्य निविदाकार द्वारा संपन्न किया गया है। इस स्थिति में मनरेगा मद से संपन्न कराए गए मिट्टी, शोल्डर एवं साईड स्लोप का कार्य संधारण विभाग द्वारा मनरेगा मद से तथा निविदाकार के माध्यम से कराए गए ग्रेवल,

पुल–पुलिया एवं रोड फर्नीचर का संधारण कार्य निविदाकार द्वारा Defect Liability Period की अवधि (कार्य पूर्ण होने से 02 वर्ष) तक किया जावेगा। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगीः–

1.1.1 ग्रेवल, पुल–पुलियों एवं रोड़ फर्नीचर का संधारण कार्य निविदाकार द्वारा (विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका 12 अनुसार) कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष तक किया जाएगा। निविदाकार द्वारा IRC:SP:77-2008 में प्रावधानित निम्न संधारण कार्य संपन्न कराया जाएगा।

a) <u>ग्रेवल कार्य संधारणः–</u> रूटिन मेन्टेनेन्स, पेच मरम्मत, प्रोफाईल संधारण (thickness की पूर्ति सहित) horizontal & vertical gradient, ग्रेडिंग आवश्यक होने पर Regraveling कार्य करना।

b) <u>पुल–पुलियों का संधारणः–</u> रूटिन मेन्टेनेन्स, सफाई, टूट–फूट मरम्मत, पेरापेट वॉल, प्रोटेक्शन कार्य, स्लेब, पाइप, पुलियों के एप्रोच का संधारण कार्य।

c) <u>रोड फर्नीचर संधारणः–</u> रूटिन मेन्टेनेन्स, सफाई, रीपेन्टिंग, टूट चुके अथवा गुम हो चुके सभी रोड फर्नीचर को पुनः स्थापित करना।

1.1.2 मनरेगा मद से विभागीय रूप से संपादित कराये गये मिट्टी कार्य, शोल्डर कार्य का संधारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा मनरेगा मद से विभागीय **परिपत्र–1 दिनांक 27.03.2010** के निर्देशों अनुसार किया जाएगा। विभाग द्वारा निम्न संधारण कार्य MORD-2004 के प्रावधान अनुसार संपन्न कराया जाएगाः–

a) शोल्डर कार्य में वर्षा के कारण होने वाले Rain Cuts को उपयुक्त मिट्टी से भरे जाकर उनका काम्पेक्शन कार्य।

b) शोल्डर को ग्रेड एवं लेवल में बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य।

1.1.3 निविदाकार की Defect Liability Period (कार्य पूर्ण दिनांक से 02 वर्ष) समाप्त हो जाने के बाद ही संधारण कार्य विभाग द्वारा संपन्न किया जाएगा।

1.1.4 **रूटिन मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रवाहः–**

a) विभागीय परिपत्र–1 दिनांक 27.03.2010 की कंडिका 10 में उल्लेख अनुसार मनरेगा के दिशा निर्देश 2008 तृतीय संस्करण की कंडिका 6.1.3 अनुसार किया जाना है।

b) विभाग द्वारा संपादित कार्य यथा इम्बैंकमेंट, सबग्रेड, अर्दन शोल्डर एवं हार्ड शोल्डर के रूटिन मेन्टेनेन्स का कार्य विभाग द्वारा संपन्न किया जावेगा।

c) ठेकेदार द्वारा संपादित कार्य की पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक संधारण कार्य ठेकेदार द्वारा संपादित किया जावेगा। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद रूटिन मेन्टेनेन्स का कार्य विभाग द्वारा संपादित किया जावेगा।

d) मेन्टेनेन्स हेतु मनरेगा के कार्यों के लिए दिशा निर्देश अनुसार वर्क आई.डी. प्राप्त कर रखरखाव कार्य संपन्न किया जावेगा।

e) रूटिन मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रावधान पृथक से किया जावेगा।

1.2 <u>निविदा पद्धति से संपादित सड़कों का संधारणः–</u> द्वितीय एवं तृतीय चरण के 31 जिलों में सम्पूर्ण कार्य निविदा पद्धति से ठेकेदार के माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है अतः सड़कों का संधारण कार्य निविदाकार द्वारा (विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की कंडिका 12 अनुसार) कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष तक किया जाएगा। निविदाकार द्वारा IRC:SP:77-2008 में प्रावधानित निम्न संधारण कार्य संपन्न कराया जाएगा।

a) <u>सड़क कार्य संधारणः–</u> रूटिन मेन्टेनेन्स, क्रास स्लोप (camber/ super elevation), पेच मरम्मत, प्रोफाईल संधारण, साईड स्लोप संधारण, ग्रेवल की ग्रेडिंग, ग्रेडिंग आवश्यक होने पर Regraveling कार्य करना।

b) पुल–पुलियों का संधारणः– रूटिन मेन्टेनेन्स, सफाई, टूट–फूट मरम्मत, पेरापेट वॉल, प्रोटेक्शन कार्य, स्लेब, पाइप, पुलियों के एप्रोच का संधारण कार्य।

c) रोड फर्नीचर संधारणः– रूटिन मेन्टेनेन्स, सफाई, रीपेन्टिंग, टूट चुके अथवा गुम हो चुके सभी रोड फर्नीचर को पुनः स्थापित करना।

1.2.1 निविदाकार की Defect Liability Period (कार्य पूर्ण दिनांक से 02 वर्ष) समाप्त हो जाने के बाद संधारण कार्य विभाग द्वारा संपन्न किया जाएगा।

1.2.2 रूटिन मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रवाहः–

a) विभागीय परिपत्र–1 दिनांक 27.03.2010 की कंडिका 10 में उल्लेख अनुसार मनरेगा के दिशा निर्देश 2008 तृतीय संस्करण की कंडिका 6.1.3 अनुसार किया जाना है।

b) ठेकेदार द्वारा संपादित कार्य की पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक संधारण कार्य ठेकेदार द्वारा संपादित किया जावेगा। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद रूटिन मेन्टेनेन्स का कार्य विभाग द्वारा संपादित किया जावेगा।

c) मेन्टेनेन्स हेतु मनरेगा के कार्यों के लिए दिशा निर्देश अनुसार वर्क आई.डी. प्राप्त कर रखरखाव कार्य संपन्न किया जावेगा।

d) रूटिन मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रावधान पृथक से किया जावेगा।

1.2.3 ग्रेवल सड़कों की डिजाइन करते समय डिजाइन लाइफ 5 वर्ष ली गई थी। इसके लिये आवश्यक है कि इन सड़कों का संधारण कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए। संधारण कार्य हेतु कार्यों के निरीक्षण की आवृत्तियां, अधिकारियों के कर्त्तव्य संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लेखित हैं। परिशिष्ट–1 में दिये निर्देशों के अनुसार संबंधी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाकर एक पंजी का संधारण (Inventory of Road) परिशिष्ट–2 अनुसार किया जावेगा।

1.2.4 सड़कों के नियमित निरीक्षण हेतु मेनुअल फॉर मेन्टेनेन्स ऑफ रोड 1989 के एपेन्डिक्सि 3 (परिशिष्ट–3) अनुसार रिकार्ड संधारित किया जावेगा।

2. पीरियोडिकल मेन्टेनेन्सः–

2.1 ठेकेदार द्वारा सड़कों का संधारण 2 वर्ष तक नियमित रूप से किया जावेगा। ठेकेदार के अनुबंध अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त होने के उपरांत, सड़कों का संधारण विभाग द्वारा किया जावेगा। सड़कों के संधारण में सड़क कार्य एवं पुल–पुलिया दोनों ही कार्यों का संधारण किया जाना आवश्यक होगा। सड़कों के संधारण हेतु परिशिष्ट–2 मे सड़कों से संबधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। परिशिष्ट–1 अनुसार सड़कों का नियमित निरीक्षण, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संपन्न किया जाकर निरीक्षण में प्राप्त स्थिति को परिशिष्ट–3 में पंजीबद्ध किया जावेगा। सड़क में पड़ने वाली पुल–पुलियों की विस्तृत जानकारी म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983 वोल्यूम–2 भाग–1 के एपेन्डिक्स 2.08 (परिशिष्ट–4) में पृथक पंजी संधारित कर, की जावेगी एवं निरीक्षण के दौरान प्राप्त स्थिति व आवश्यक मरम्मत कार्य का विवरण पंजी में संधारित किया जावेगा।

2.2 पीरियोडिकल मेन्टेनेन्स हेतु IRC:SP:77-2008 की कंडिका 4.2.3 अनुसार PCI (Pavement Condition Index) निकालने का उल्लेख है तथा कंडिका 2.5.5 अनुसार निम्नानुसार मेन्टेनेन्स किए जाने का प्रावधान हैः–

PCI	Rehabilitation Measures
1	Reconstruct Immediately
1 to 2	Regravel Immediately; Routine maintenance to continue
2 to 3	Regravel within 1 year; Routine maintenance to continue
> 3	Routine maintenance

2.2.1 **पीरियोडिकल मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रवाहः–**

a) विभागीय परिपत्र–1 दिनांक 27.03.2010 की कंडिका 10 में उल्लेख अनुसार मनरेगा के दिशा निर्देश 2008 तृतीय संस्करण की कंडिका 6.1.3 अनुसार किया जाना है।

b) ठेकेदार द्वारा संपादित कार्य की पूर्णता दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक संधारण कार्य ठेकेदार द्वारा संपादित किया जावेगा। 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पीरियोडिकल मेन्टेनेन्स का कार्य विभाग द्वारा संपादित किया जावेगा।

c) मेन्टेनेन्स हेतु मनरेगा के कार्यों के लिए दिशा निर्देश अनुसार वर्क आई.डी. प्राप्त कर रखरखाव कार्य संपन्न किया जावेगा। इस हेतु मनरेगा के 60:40 की सीमा में कार्य संपन्न न होने की स्थिति में राज्य मद से रीग्रेवलिंग एवं शोल्डर का कार्य संपादित किया जावेगा।

d) पीरियोडिकल मेन्टेनेन्स हेतु राशि प्रावधान पृथक से मनरेगा मद अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त कर किया जावेगा।

e) मनरेगा की 60:40 की सीमा से बाहर की स्थिति में सामग्री परिवहन व काम्पेक्शन का कार्य अन्य मद से अनुमानित 20 से 30 प्रतिशत राशि का बजट प्रावधान कर संपन्न किया जावेगा।

3. **स्पेशल रिपेयरः–**

3.1 अत्यधिक वर्षा, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि की स्थिति में हुई क्षति के लिये सड़क/पुल–पुलिया के रखरखाव का कार्य तत्काल किया जावेगा।

3.2 **राशि प्रवाहः–**

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हुई क्षति हेतु पृथक से प्राक्कलन तैयार किया जाकर राज्य सरकार से अनुमति उपरांत कार्य संपादित किया जावेगा।

4. सड़कों के रखरखाव की गतिविधियों हेतु वार्षिक केलेन्डर परिशिष्ट–5 अनुसार होगा। तदनुसार गतिविधियां संपन्न की जावेंगी।

5. **रखरखाव हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्थाः–**

a) **रूटिन मेन्टेनेन्सः–** माह जुलाई 2012 तक लगभग 900 सड़कें पूर्ण हो जुकी हैं एवं भविष्य में भी सड़कों की पूर्णता होगी जिन पर रूटिन मेन्टेनेन्स की आवश्यकता होगी। वर्ष 2013–14 में इस हेतु रू. 5.00 करोड़ एवं वर्ष 2014–15 से निरंतर रू. 10.00 करोड़ प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी।

b) **पीरियोडिकन मेन्टेनेन्सः–** इस कार्य हेतु वर्ष 2017–18 से नियमित आवश्यकता होगी इस हेतु प्रति वर्ष रू. 84.00 करोड़ आवश्यकता होगी।

c) **स्पेशल रिपेयरः–** आपदा की स्थिति में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार राशि की आवश्यकता होगी।

d) उपरोक्त बिन्दु a एवं b हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था मनरेगा मद से की जावेगी। 60:40 की सीमा में कार्य संपन्न न होने की स्थिति में 60:40 सीमा तक की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक राशि का बजट प्रावधान प्रति वर्ष आवश्यकता अनुसार किया जाए।

6. कार्यपालन यंत्री/पी.एम.यू. द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि शोल्डर, मिट्टी कार्य के संधारण कार्य की तकनीकी स्वीकृति सितम्बर माह तक आवश्यक रूप से सक्षम प्राधिकारी से कराई जाकर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेज दिया जाए। साधारण वार्षिक मरम्मत के लिए IRC:SP:20-2002 Caluse 12.1.10 and Appendix 12.1 (Table No. 12.1.7) में दी गई मानक निधियों को आधार माना जा सकेगा।

7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संधारण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं आवंटन एक सप्ताह के अंदर संबंधित कार्यपालन यंत्री को उपलब्ध करा दिया जाये।

8. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संधारण कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की मासिक समीक्षा करेंगे तथा प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त एवं मुख्य अभियंता को भेजेंगे।

कृपया कार्य को प्रोजेक्ट मोड में संपादित किये जाने हेतु कार्य योजना अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नः— परिशिष्ट 1 से 5

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/8008/22/वि—10/ग्रायांसे/स.प्र.147/2012, भोपाल, दिनांक : 5/10/2012

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. महालेखाकार कार्यालय, भोपाल/ग्वालियर
4. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विध्यांचल भवन, भोपाल।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर्यावास भवन भोपाल।
7. संचालक, ग्रामीण रोजगार विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
8. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
9. संयुक्त आयुक्त (बजट) विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

GUIDELINES ON INSPECTION OF GRAVEL ROADS FOR MAINTENANCE

1. Frequency

The minimum frequency of inspections for condition of gravel road is suggested in Table-1 below.

Table-1 : Frequency of inspections

Sl. No.	E.E.		A.E.		Sub Eng.	
	Routine	Special	Routine	Special	Routine	Special
1.	Twice in a year (April & October)	Before and after monsoons	Once in two months Jan. March May July Sept. Nov.	Before and after monsoons Twice during rains	Once a month	Every week

The inspection should be carried out not only to check the conditions of works but also for planning future strategies. Senior officers should make it a point to note and communicate the instructions to the subordinates. While on inspection, the senior officer should go through the notes of Junior colleagues and make suitable suggestions so that inspections are meaningful.

2. DUTIES

The duties of Sub Engineers, Assistant Engineers and Executive Engineers are as follows:

2.1. Duties of Sub Engineers

(i) Inspection and supervision of works as per prescribed norms
(ii) Reporting observations to higher authorities
(iii) Preparing estimates for repairs after conduction condition surveys of road
(iv) Reporting about closure of road obstructions due to any of the following reasons:
   a. Over topping/ breach
   b. Landslides
   c. Earthquake
   d. Accident
   e. Any other reason (specify)
(v) Arranging for removal of obstructions, dead animals and other debris lying on the road
(vi) Enumerating safety measures and restoration works in case of flood damages and breaches and reports on opening of traffic/ completion of restoration.

2.2. Duties of Assistant Engineers

(i) Inspection and supervision of works
(ii) Reporting observations with suggestion for removal action to higher authorities
(iii) Getting estimates prepared and checked after conducting surveys and site investigations
(iv) Reporting about heavy rain falls in the area and consequent rain damage
(v) Enumerating action on the report of engineering subordinates regarding obstructions, accidents etc.
(vi) Enumerating safety measures and restoration of (both temporary and permanent) works in case of flood damages and breaches.

2.3. Duties of Executive Engineers

(i) Inspection and recording of observations
(ii) Planning and finalization of nature of maintenance activity e.g. surface renewal, repair to CD works etc.
(iii) Arranging men, materials and machinery in advance as per requirements
(iv) Finalizing action on reports of Assistant Engineers and also on safety measures, diversion in case of breaches and flood damages
(v) Coordination with various agencies like traffic police, local administrative, publicity media etc., in case emergent repairs, interruption to traffic by road blockage, etc.
(vi) Initiate steps for finalizing permanent restoration work.

3. Identification of Defects

It is important to identify and locate the defects of surface, shoulders, side drains and cross drainage during the inspection of the road by various officers.

INVENTORY OF ROAD

Road Register having detail of road and information regarding maintenance.

1. Name of Road
2. Head of Sanction
3. Length in K.M.
4. Total Cost (Rs. in lacs)
5. Provision of crust
    a. Thickness of gravel (CBR > 30)
    b. Thickness of GSB (for black top road)
    c. Layer of WBM
        i. G-2
        ii. G-3
    d. Bituminous work
        i. PMC/ OPGC
        ii. Seal coat
6. Width of carriage way in meter
7. Shoulder width (each side) in meter
8. Top width of road
9. C.D. Details

S.No.	Type of CD	Chainage	Row/ Opening	Cost (Rs. In lacs)
a	HPC			
b	VCW			
c	Box			
d	Slab			

10. Date of completion

परिशिष्ट–3

ROUTINE INSPECTION CARD (RECORDING FORMAT)

Recorded by .....

Name of Road:
Length (in K.M.):
Date of inspection:

S.No.	Particulars / Action to be Taken		KM - 0				KM - 02				KM - 03				KM - 04				KM -			
			0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8
1	Side Drain																					
	Resection	R																				
		L																				
	Fill Scour Hole/Clear Site	R			0.5 KM																	
		L																				
2	Shoulder & Slope																					
	Correct Camber	R							0 0 KM												0.4 KM	
		L																				
	Fill Pot Hole	R																				
		L																				
	Fill Erosion Cuts	R		0.5 KM																		
		L																				
	Fill Rain Cuts	R													0.5 KM							
		L																				
3	Carriage Way																					
	Fill Patches	R																				
		L																				
	Fill Pot Hole	R						200 SQM														
		L																				
	Gravel for regravelling	R																				
		L																				
	Renewal Needed	R																			100 SQM	
		L																				
4	C.D. Works																					
5	Encroachments																					
	Details	R														2 SHOPS						
		L																				
6	Road Furniture																					
	(i) Missing Boards			2 NOS																		
	(ii) Kms Stones																					
	(iii) Repairable Boards																					
	(iv) Pavement Markings																					

Requiring Urgent Action
Requiring Special Attention
Requiring Recurrent Attention
Requiring Routine Attention

Sub Eng.

Astt. Eng.

परिशिष्ट–

APPENDIX 2.08

(See paragraph 2.069, 2.072)

..... Division

PART - I

Half Yearly Inspection Report on Bridges, Culverts and Causeways on the ..... Road Canal for the Half Year Ended on ..... 20.....

Name of Road	Serial No. given in the register of bridges and culverts	Situation KM and No.	Description whether slab, arched, culvert, Causeway, submersible or high level bridge	Name of the inspecting Officer	Date of inspection	Nature of damage	Special repairs necessary		Remarks
							Particulars	Probable cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Certified that I have thoroughly inspected every bridge, culvert or causeways on this road and that with exception of those shown in the statement above, they are in good order.

Sub Eng. .....

(2) Certified that I have personally inspected all bridges and culverts of 6 meter span and above all those are damaged and 10 percent of the remainder and have satisfied myself that the Sub Eng. Has carried out a proper inspection as required by the rules.

S.D.O.

..... Sub-Division

(3) Certified that I have scrutinized the half yearly inspection reports on crossings of the ..... Sub-division for the half year ended on and found them to be properly completed under the rules and that a true description of the damage sustained by the various crossings is recorded above and reports have been sent to S.E. for the damage bridges.

E.E.

..... Division

ANNUAL CALENDAR OF ROAD MAINTENANCE ACTIVITIES (para 2.4)

✓ Recommended period for activity in Madhya Pradesh

S.No.	Item	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Remarks
1	Repairs of road berms including jungle clearance	✓	✓	✓	--	--	--	✓	✓	✓	--	--	--	
2	Repairs to side drains	--	--	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	--	--	--	
3	Collection of patch repairs material for WBM/Gravel roads	--	--	--	--	✓	✓	--	✓	✓	--	--	--	
4	Collection of patch repairs material for B/T roads	✓	✓	✓	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	--	
5	Patch repair work for WBM/Gravel roads	--	--	--	--	✓	✓	--	✓	--	--	--	--	
6	Patch repair work for B/T roads	--	--	--	--	✓	✓	--	✓	✓	✓	--	--	
7	Repairs to sign and caution boards	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	
8	Painting of Km. stone and Road markings	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	
9	Removal of encroachment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	